न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 53/2020

अजीत सिंह पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी नाथवाणा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

–वादी–

बनाम

1 रामनिवास पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार लूनकरनसर

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

1 श्री अजीत सिंह स्वयं
2 श्री रामनिवास स्वयं
3 पेरोकार राज

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 131 एलआर एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक :–05.08.2020

वादी , प्रतिवादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 131 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रोही मौजा उच्छरंगदेसर तहसील लूनकरनसर के खेत खसरा नं0 391/1 तादादी 1.39 हैक्टेयर खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर वादी का पुराने समय से कब्जा एवं दखल चला आ रहा हैं । यह कि वादी के पश्चिम दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 346/10 तादादी 2.32 हैक्टेयर खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रतिवादी के नाम से खातेदारी भूमि को नक्शें में कब्जे व रिकॉर्ड से अधिक भूमि अंकित कर दी गई हैं क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्व दिशा में वादी का 1.39 हैक्टेयर भूमि पर पुराने समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु नक्शा में दोनो भूमि खसरा नम्बर 346/10 दर्ज कर दी गई। इस कारण वादी अपने हकों की घोषणा करवाने का हकदार हैं।

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से मिला और कहा की आपने मेरी भूमि नक्शें में गलत फिटिंग करवा ली तब प्रतिवादी ने कहा की मेने मेरी भूमि नक्शें में फिटिंग करवाई है तुम्हारा इस भूमि पर कोई हक नहीं है। प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि होने से इन्कार करने पर वादी को प्रतिवादी के खिलाफ वाद कारण हासिल हुवा । प्रतिवादी द्वारा बेदखली की धमकी देने से वादी को प्रतिवादी के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा का हक हासिल हुवा हैं। इस प्रकार वादी ने वाद–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर 391/1 तादादी 1.39 हैक्टेयर भूमि का वादी के कब्जे अनुसार घोषणा कराने एवं खसरा नम्बर 346/10 तादादी 2.32

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी
लूणकरणसर

हैक्टेयर से नक्शें व रिकॉर्ड में अधिक दर्ज भूमि को अपने नाम से नक्शें में दुरूस्त करवाने बाबत यह वाद पत्र पेश किया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 ने शपथ–पत्र प्रस्तुत कर वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुवे कथन किया कि खसरा नम्बर 346/10 में उसकी 2.32 हैक्टेयर भूमि है जो वादी के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। उक्त तरमीमशुदा भूमि नक्शे में अधिक तरमीम की गई हैं। जिसमें पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 391/1 तादादी 1.39 हैक्टेयर का मौका पर कब्जा के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवाद संख्या 2 स्टेट की ओर से पैरोकार राज वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया।

वादी द्वारा वाद–पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी ग्राम उच्छरंगदेसर संवत्2073–76 खसरा नम्बर 391/1 तादादी 1.39 हैक्टेयर, नकल नक्शा ग्राम उच्छरंगदेसर खसरा नम्बर 389/1, 392/1 , 390/1, 336/10, 346/10, 347/10 जमाबन्दी ग्राम उच्छरंगदेसर प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास पुत्र गणपतराम खसरा नम्बर 346/10 तादादी 2.32 हैक्टेयर की प्रमाणित प्रति पेश की गई। पटवारी हल्का उच्छरंगदेसर द्वारा तैयार रिपोर्ट एवं फर्द मौका पेश हुवा।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का घ्यानपुर्वक अध्ययन किया । रोही मौजा उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर 346/10 के नजरी नक्शें एवं नक्शा की प्रमाणित प्रति अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की 2.32 हैक्टेयर भूमि से अधिक तरमीमशुदा हैं अधिक भूमि पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका में अंकित संकेत अनुसार 1.39 हैक्टेयर अधिक तरमीम हैं जिस पर वादी का कब्जा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रमाणित होता हैं। प्रतिवादीगण को उक्त तरमीम को दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं । वादी खसरा नम्बर 391/1 तादादी 1.39 हैक्टेयर का खातेदार कृषक हैं जिसकी घोषणा की जाती हैं तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 346/10 के पूर्वी दिशा में वादी की भूमि को तरमीम करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश नक्शा ग्राम उच्छरंगदेसर में उक्त तरमीम दुरूस्त करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : भागीरथ शाख, आरएएस

अजीत सिंह **बनाम** गौमन्दराम वगै0

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 131 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :— 53/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादीगण श्री अजीत सिंह,** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी खसरा नम्बर 391/1 तादादी 1.39 हैक्टेयर का खातेदार कृषक हैं जिसकी घोषणा की जाती हैं । प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 346/10 के पूर्वी दिशा में वादी की भूमि खसरा नम्बर 391/1 तादादी 1.39 हैक्टेयर को तरमीम करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश नक्शा ग्राम उच्छरंगदेसर में उक्त तरमीम दुरूस्त करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-.......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 05.08.2020 को डिक्री जारी की गई।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested